संख्या– 952/33–3–2014–03रा0नि0आ0/2014

प्रेषक,

चंचल कुमार तिवारी,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) निदेशक,
पंचायती राज,
उ0प्र0, लखनऊ।

(2) समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पंचायती राज अनुभाग–3 लखनऊ दिनांक 6 अप्रैल, 2015

विषय : ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (वार्डों) का परिसीमन किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराते हुए अवगत कराना है कि ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (वार्डों) का परिसीमन किये जाने के संबंध में शासनादेश संख्या–385/33–3–2014–03रा0नि0आ0/14, दिनांक 06 फरवरी, 2015 एवं शासनादेश संख्या–729/33–3–2014–03रा0नि0आ0/14, दिनांक 16 मार्च, 2015 द्वारा दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत निम्नलिखित रूप से समय–सारिणी निर्धारित की गयी थी :–

(1)	ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (वार्डों) की प्रस्तावित सूची की तैयारी और उसका प्रकाशन	दिनांक 27 मार्च, 2015 तक
(2)	प्रस्तावित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों पर आपत्तियां प्राप्त किया जाना	दिनांक 28 मार्च, 2015 से 3 अप्रैल, 2015 तक
(3)	क्रमांक–2 पर आपत्तियों का निस्तारण	दिनांक 4 अप्रैल, 2015 से 10 अप्रैल, 2015 तक
(5)	प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की अंतिम सूची का प्रकाशन	दिनांक 11 अप्रैल, 2015 से 17 अप्रैल, 2015 तक

J.A./A.A.(R.K.)
06.4.15

ग्राम पंचायत पुनर्गठन/परिसीमन के संबंध में कतिपय जनपदों में आपत्तियों के निस्तारण में हुए विलम्ब तथा कतिपय प्रकरण मा0 उच्च न्यायालय से अच्छादित होने एवं जनपद मुरादाबाद से नवसृजित जनपद् सम्भल में विकास खण्ड बनियाखेड़ी एवं बिलारी दोनों जनपदों में प्रदर्शित होने के विवाद के निस्तारण, ग्राम पंचायत पुनर्गठन के गजट की प्रति राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ से यथासमय न प्राप्त होने तथा माह अप्रैल, 2015 में लगातार 4 दिवस का अवकाश पड़ने आदि तथ्यों के दृष्टिगत उक्त समय सारिणी जिसके अन्तर्गत ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों(वार्डो) की प्रस्तावित सूची और उसका प्रकाशन हेतु 27 मार्च, 2015 तक प्रकाशन की कार्यवाही निर्धारित तिथि में नहीं हो सकी है।

उक्त तथ्यों के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक विचारोपरान्त ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों(वार्डो) के निर्धारण के संबंध

में आपत्तियाँ प्राप्त करने एवं उसके निस्तारण और प्रकाशन आदि के लिए निम्नवत् संशोधित समय सारिणी निर्धारित की जाती है:–

(1)	ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (वार्डों) की प्रस्तावित सूची की तैयारी और उसका प्रकाशन	दिनांक 11 अप्रैल, 2015 तक
(2)	प्रस्तावित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों पर आपत्तियां प्राप्त किया जाना	दिनांक 18 अप्रैल, 2015 तक
(3)	क्रमांक–2 पर आपत्तियों का निस्तारण	दिनांक 28 अप्रैल, 2015 तक
(5)	प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की अंतिम सूची का प्रकाशन	दिनांक 02 मई, 2015 तक

अतः कृपया उपर्युक्त निर्देशों का विभिन्न संचार माध्यमों, यथा–समचार–पत्रों, आकाशवाणी तथा दूरदर्शन के माध्यम से निःशुल्क व्यापक प्रचार–प्रसार कराकर समस्त कार्यवाही समय–सारिणी के अनुसार सम्पन्न कराया जाना सुनिश्चित करें और प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की अन्तिम सूची रूपपत्र–1, 2 तथा 3 पर दिनांक 12 मई, 2015 तक पंचायती राज निदेशालय को प्राप्त कराया जाना सुनिश्चित करें। पंचायतों के सामान्य निर्वाचन निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत कराये जाने की अपरिहार्यता को दृष्टिगत रखते हुए उक्त समय सारिणी का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। शासनादेश संख्या–729/33–3–2014–03रा0नि0आ0/14, दिनांक 16 मार्च, 2015 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय। कृपया इस कार्य को सर्वोच्च वरीयता प्रदान करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(चंचल कुमार तिवारी)
प्रमुख सचिव।

संख्या व दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मुख्य स्टॉफ आफीसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, उ0प्र0, लखनऊ।
3. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 को विभिन्न संचार माध्यमों से व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त मण्डलीय उप निदेशक (पंचायत), उ0प्र0।
6. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
7. समस्त अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, उ0प्र0।
8. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें एवं वांछित प्रस्ताव व अंतिम सूची समय से पंचायती राज निदेशालय को प्राप्त कराया जाना सुनिश्चित करें।

आज्ञा से,

(एस0पी0 सिंह)
अनु सचिव।